(a) what were the terms of payment to the foreign contractor M/s. Zanen Verestoep;

(b) what percentage of job was executed before payment of Rs. 23.5 crores to the contractor;

(c) what action is being taken to recover the amount from the contractor;

(d) when was the contractor appointed, when was the payment made and when the contract was terminated; and

(e) what alternative action plan has been drawn Government for execution of recessional dredging project over Jigger Khali Project; and what is the time frame for execution of the project?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The main terms of payment to M/s. Zanen Verestoep were:—

(i) Advance payment of 10% of contract price of Phase I payable to the contractor after issue of notice to commence work;

(ii) Reimbursement of custom duties paid by the contractor for importing equipment in connection with the dredging works;

(iii) Reimbursement of customs duty was to be made in Indian Rupees; In respect of other predredging works 88% was paid in foreign currency and 12% in Indian Rupees.

(b) The contractor completed works in connection with predredging formalities such as mobilisation of dredging equipment, building dyke walls of Nayachara Island for shore disposal, laying of pipelines from the dredgers to Nayachara Island etc.

(c) A claim of Rs. 75.52 crores has been prepared by Calcutta Port Trust on M/s. Zanen Verestoep on account of loss and damages suffered by Calcutta Port Trust.

(d) The contractor was appointed on 30.6.90. They were paid in phased manner from February 1991 to August, 1992. The notice for termination of the contract was issued by Calcutta Port Trust on 20.4.93.

(e) An intensive maintenance dredger at Ballari Bar region has been planned through Dredging Corporation of India from the next fair season, 1994.

Separate authority for Road Tax Collection

4045. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government propose to constitute a separate authority to provide road tax collection facilities and control traffic on National Highways;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the proposed manner of distribution of the amount collected, between the Centre and the States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) At present, there is no proposal to constitute a separate Authority to provide road tax collection facilities and control traffic on National Highways.

कुल्लू के निकट बाईपास और पुलों का निर्माण

4046. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या जलभूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल्लू शहर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास और पुलों के निर्माण के संबंध में भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार सड़क निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस तिथि से आरम्भ किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा?

जलभूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) इस कार्य को निजी क्षेत्र की सहभागिता से कराए जाने का पता लगाया जा रहा है। अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा।

नौवहन उद्योग के लिए वित्तीय संस्था

4047. **श्री सोमपाल:**
श्री शंकर दयाल सिंह:

क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवहन उद्योग ने सरकार से इस उद्योग को वित्त मुहैया कराने के लिए एक नई वित्तीय संस्था गठित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग का आधार क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जलभूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम को वित्तीय सहायता

4048. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या जलभूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार पिछले कई वर्षों से दिल्ली परिवहन निगम को भारी आर्थिक सहायता देती रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990–91, 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान सरकार द्वारा सहायता के रूप में दी गई राशि का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1994–95 के लिए क्या प्रावधान किया गया है;

(ग) वर्ष 1991 से 1993 के दौरान निगम ने कितनी बसें खरीदीं और उन पर कितना खर्च किया गया;

(घ) निगम की प्रतिदिन की आय, उसका खर्च और इसे सरकार द्वारा दी गई वार्षिक आर्थिक सहायता के बीच लगातार बढ़ते हुए असंतुलन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने कभी निगम की खस्ता हालत को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो दिल्ली परिवहन निगम के भाग्य के बारे में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है?

जलभूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

ऋण सहायता (करोड़ रु.)

वर्ष	योजनागत	गैर–योजनागत
1990-91	120.00	43.00
1991-92	67.00	11.00
1992-93	40.00	20.00
1993-94	0.12	41.50

सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए दिल्ली परिवहन निगम को 10 करोड़ रु. की योजनागत और 14 करोड़ रु. की गैरयोजनागत सहायता का प्रावधान किया है।

(ग) वर्ष 1991 से 1993 तक दिल्ली परिवहन निगम ने 770 बसें खरीदी थीं। इनकी लागत 40.82 करोड़ रु. थी।

(घ) और (ङ) सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डी टी सी) की खस्ता हालत को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) दिनांक 21.6.94 से दिल्ली परिवहन निगम के भाड़े ढ़ाचे में वृद्धि।

(ii) दिल्ली परिवहन निगम में फालतू कर्मचारियों को कम करने के लिए इसमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू करना।

(iii) सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम को दिए गए गैरवापसी योग्य ऋण को जो दिनांक 31.3.92 तक बकाया था और उस पर लगे ब्याज को इक्विटी में बदलना।

पत्तन न्यासों को अनुदेश दिया जाना

4049. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या जलभूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी पत्तन न्यासों को क्रयादेश देने संबंधी प्रक्रिया के बारे में कोई अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलभूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., कोचीन शिपयार्ड लि., सेंट्रल इंडिया वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और कांडला पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि में क्रयादेश की बुकिंग की स्थिति सुधारने के लिए जो क्रय सूची में सुधार करने के लिए हैं का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

जलभूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा अनुदेश जारी कर दिए गए हैं जिन के अनुसार, 10 करोड़ रु. से अधिक की लागत के प्रत्येक जलयान और क्राफ्ट के मामले में निविदाजांच, जलभूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन चार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र के अधीन तीन शिपयार्डों तक ही सीमित होनी चाहिए। इन शिपयार्डों की आर्डर बुक स्थिति में सुधार होने तक यह अस्थायी उपाय है और अक्तूबर, 1994 में इसकी समीक्षा की जानी है।

(ग) और (घ) जलभूतल परिवहन मंत्रालय समान रूप से इन अनुदेशों का पालन करता रहा है।